प्रेस नोट

नगर पालिका बिछिया जिला मण्डला का पूर्व दैनिक वेतन भोगी निकला करोड़ो की सम्पत्ति का मालिक ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा की गई रेड की कार्यवाही

आरोपीः— श्री शिव कुमार झारिया के द्वारा पूर्व दैनिक वेतन भोगी नगर पालिका बिछिया एवं पूर्व कैशियर मनरेगा, मोगांव जनपद जिला मण्डला के पद पर रहते हुए आर्थिक अनियमितताएं कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई।

अपराधः— आरोपी शिवकुमार झारिया की जांच के दौरान वैधानिक आय से 1200 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति पाये जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अपराध क्रमांक 21/25 धारा 13(1)बी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अन्य अपराधः— आरोपी के द्वारा राशि रूपये 29,69,839 की आर्थिक अनियमितताएं करने पर थाना बिछिया जिला मण्डला में अपराध क्रमांक 171/24 धारा 409,420,465,467,34 भादवि 1860 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

सर्चः— आज दिनांक 15.02.2025 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के द्वारा आरोपी के निवास स्थान एवं व्यवसायिक स्थलों पर सर्च की कार्यवाही संपादित की गई। सर्च के दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम से चल—अचल सम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

चल/अचल सम्पत्तिः—

- 01 भवन तथा 04 रहवासी प्लॉट कुल कीमत लगभग 50,57,858 रूपये
- बीमा पॉलिसी कुल 12 राशि 29,72,000 रूपये
- एफ. डी. आर. कुल 02 राशि 5,00,000 रूपये

वाहनः— आरोपी **शिवांगी ट्रेवल्स का डायरेक्टर** है, जिसकी कम्पनी दिल्ली में कुल 04 ईनोवा क्रिस्टा वाहनों का संचालन कर रही है। वाहनों की कुल कीमत 1,05,00,000 रूपये तथा आरोपी के नाम से एम0जी0 हेक्टर ग्लोस्टर वाहन कीमत 45,23,768 रूपये है। इस प्रकार आरोपी की कम्पनी एवं उसके नाम से वाहनों की **कुल कीमत 1,50,23,768 रूपये है।**

कम्पनीः— आरोपी **शिवांशी ग्रीन सॉल्यूशन** तथा **शिवांशी इंडिया निधी प्रायवेट लिमिटेड** में डायरेक्टर है। शिवांशी ग्रीन सॉल्यूशन सोलर पेनल लगाने का कार्य करती है। शिवांशी इंडिया निधी प्रायवेट लिमिटेड बैंकिग व्यवसाय का कार्य करती है। जिनके संबंध में जांच की जा रही है।

अन्य सामानः— अन्य घरेलू सामान/नगद/ज्वेलरी कुल 32,85,000 रूपये।

आरोपी के निवास एवं व्यवसायिक स्थानों पर सर्च कार्यवाही में मकान,वाहन,बैंक खाते,कम्पनियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर्च कार्यवाही के दौरान प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजों के विश्लेषण पर लगभग 3 करोड़ 5 लाख की अनुपातहीन सम्पत्ति के होने का अनुमान है।

सर्च कार्यवाही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर से उपुअ (कार्य0) श्री मंजीत सिंह उपुअ श्री ए.वी. सिंह उपुअ का0 श्री एस एस धामी उपुअ का0 श्रीमती लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में निरी0 प्रेरणा पाण्डेय, निरी0 मोमेन्द्र मर्सकोले, निरी0 छविकांति आर्मो, निरी0 किर्ति शुक्ला, उनि0 विशाखा तिवारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा सम्पादित की जा रही है।